डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code, Appendex "d"1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), चौहटन मुकाम चौहटन

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणछोड़ लाल (आर.ए.एस)

अनवान्

वादी – 1. गुलाम अली पुत्र सायल जाति मुसलमान निवासी सुकालिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –1. अदरूप 2. कम्मीर 3. समीर 4. हुरा पिसरान कादू 5. उसमान पुत्र जानू 6. मु. जुलेखां पत्नी जानू जाति मुसलमान निवासी सुकालिया तहसील चौहटन निवासी बाड़मेर 7. तहसीलदार चौहटन

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्त. अधि. धारा 131,136 राज.भू. राजस्व अधिनियम

मुकदमा नं. 51/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री रामजीवन विश्नोई एड. मिनजानिब मुदाई व श्री हरीश चौधरी एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **तहसील चौहटन के मौजा सुकालिया (बीजराड़) के 1132/951, 1133/951, 1134/951 रकबा क्रमशः 10.2304, 03.3994, 06.8068 हैक्टेयर** का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन व तरमीम दुरूस्त कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर........................ बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राथी तक .... को अदा करे।

बसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.11.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.............................

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी [illegible] गवाहान [illegible] बाबत इजराय [illegible]मा [illegible]क मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... क

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.09 15:08:44 IST
Reason: SelfAttested

28

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	बरंग
1	गुलाम अली पुत्र सायल कौम सिन्धी मुसलमान सादेह खातेदार रहन एसबीआई शाखा चौहटन	सुकालिया	1132/951	6.8203	बा.सो.	1.30	लाल
2	अदरूप 1/4, कंभीर 1/4, समीर 1/4, हुरा 1/4 पि. कादू कौम सिंधी मुसलमान सादेह खातेदार	सुकालिया	1132/951	3.4101	बा.सो.	0.64	हरा

उपरोक्त वर्णित ख.सं. 1132/951, 1133/951, 1134/951 में नक्शा में तरमीम प्रपत्र 'अ' में दर्शाये अनुसार की हुई है। जबकि मौके पर उक्त खसरान में खातेदारों का कब्जा काश्त प्रपत्र 'ब' में दर्शाये अनुसार पाया गया। ख.सं. 1132/951 का विभाजन प्रस्ताव उक्त सभी खातेदारों की सहमति से मौके पर कब्जा अनुसार प्रपत्र 'स' में तैयार किया गया।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.09 15:08:44 IST
Reason: SelfAttested